

CRESANTO GLOBAL LIMITED

(Formerly known as Raymed Labs Limited)

CIN: L24111UP1992PLC014240

Reg.off. - C- 273, C block, sector 63, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh, India, 201301, Website- www.raymedlab.com

Email- raymedlabs@rediffmail.com, Phone no. 7738669898

To,

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street Mumbai- 400001

Scrip Code: 531207

Sub: Regulation 30 and Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir /Madam,

In terms of Regulation 30 and Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), please find attached newspaper cuttings of the advertisement in relation to the un-audited Financial Results of the Company for the Third quarter and nine months ended on 31st December, 2025 as specified in Regulation 33 of LODR published in Business Standard (English) and Business Standard (Regional Language- Hindi) on 06th February, 2026 and the same is also being displayed on the website of the Company viz. www.raymedlab.com. Kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR CRESANTO GLOBAL LIMITED

(Nishant Bajaj)

Director

DIN: 06634036

Date: 06th February, 2026

Place: Mumbai

Encl: As Above

एनबीसीसी पूरा करेगी सुपरटेक की 16 परियोजनाएं

अदालत ने अपने फैसले में सभी ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से भी रोक दिया है, जो इस मामले में एनबीसीसी द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधि को बाधित या धीमा कर सकते हैं।

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 5 फरवरी

दिल्लीया रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक लिमिटेड की लंबे समय से अटकी 16 हाउसिंग परियोजनाओं को अब सरकार द्वारा संचालित एजेंसी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) पूरा करेगी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को इस संबंध में फैसला सुनाया। इससे अपना घर मिलने का इंतजार कर रहे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। अदालत ने अपने फैसले में सभी ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से भी रोक दिया है, जो इस मामले में एनबीसीसी द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधि को बाधित या धीमा कर सकते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाले पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलौय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 12 दिसंबर, 2024 के फैसले का समर्थन किया, जिसने ऐसी अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को शामिल किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि एनसीएलएटी का

ट्रस्टिकोण इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के अनुरूप था और निष्पक्षता या वैधता के आधार पर इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। अदालत ने पिछले साल फरवरी में लगाई गई अंतरिम रोक को भी हटा दिया है। संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पाया कि 2010 और 2012 के बीच बुक की गई लगभग 51,000 आवासीय इकाइयां अभी भी अधूरी पड़ी हैं, जिससे सुपरटेक के वित्तीय संकट गहराने के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए और वर्षों से उन्हें अपना घर नहीं मिल पाया। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शीर्ष अदालत ने खरीदारों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा उपाय निर्धारित कर दिए। इसने निर्देश दिया कि पूरी तरह निर्मित और सुसज्जित घरों को उनके मालिकों को सौंप जाने के बाद ही अदालत वित्तीय और परिचालन लेनदारों के दावों पर विचार करेगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि पूरी की गई इकाइयों में पानी और बिजली कनेक्शन, सीवेज सुविधाएं, आंतरिक सड़कें और पार्क जैसी सभी वे सुविधाएं शामिल होनी चाहिए, जिनका वादा फ्लैट बुक करते समय ग्राहकों से किया गया था।



एनबीसीसी से यह भी कहा गया कि वह एनसीएलएटी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई कार्यान्वयन योजना के अनुसार ही परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करे। सर्वोच्च अदालत ने इस समिति को समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनबीसीसी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि घर खरीदारों की तरफ से वरिष्ठ

अपने घर का इंतजार होगा खत्म-

वर्ष 2010-12 : सुपरटेक ने विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 51,000 हाउसिंग यूनिट बेचीं, जिनमें से कई वित्तीय संकट के कारण कई अधूरी रह गईं

आईबीसी कार्यवाही : खरीदारों ने परिसमापन के बजाय फ्लैट का निर्माण पूरा करने की मांग की तो यूनिन बैंक ऑफ इंडिया ने सुपरटेक के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की

दिसंबर 2024 : एनसीएलएटी ने एनबीसीसी को 16 अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड पर लिया। इससे खरीदारों को अतिरिक्त लागत से छूट आ परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया

अदालत का फैसला : उच्चतम न्यायालय ने एनसीएलएटी की योजना को बरकरार रखा और पहले लगाया गया अपना स्टे हटा लिया। साथ ही अनुच्छेद 142 के तहत एनबीसीसी को बिना रुकावट आगे बढ़ने की मंजूरी दी

विदेशी विवि की भारत में दिलचस्पी

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 5 फरवरी

भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र अगले दशक में दुनिया के सबसे बड़े संस्थागत रिटल एस्टेट अवसरों में से एक बनने जा रहा है, जिसमें नए कैम्पस के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होगी। एनारॉक कैपिटल की रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि बढ़ते छात्र नामांकन, नीति परिवर्तन और वैश्वीकरण के कारण इस क्षेत्र में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। एनारॉक कैपिटल की रिपोर्ट 'द एकेडमिक रियल एस्टेट सुपरसाइकिल' के मुताबिक भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल रियल एस्टेट मौकों में उभर रहा है। एनारॉक कैपिटल के सीईओ शोभित अग्रवाल कहते हैं कि भारत में उच्च-शिक्षा में नामांकन 2010-11 में 270 लाख से बढ़कर 2022-23 में 450 लाख हो गया है, जो शक्तिशाली जनसांख्यिकीय तत्वों और बढ़ती घरेलू आकांक्षाओं का परिणाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2035 तक 50 फ्रीस्टाई ग्रांस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना है, जिसके लिए लगभग 250 लाख अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता होगी। जिसमें 2.7 अरब वर्ग फुट अकादमिक बुनियादी ढांचा और 30,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल अकादमिक सुविधाओं के निर्माण के लिए लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश आवश्यक होगा, जिसमें भूमि अधिग्रहण और छात्र आवासीय बुनियादी ढांचे को शामिल नहीं किया गया है। हमें विश्वास है कि 2026 के केंद्रीय बजट में पांच विश्वविद्यालय सऊदी अरब के लिए प्रस्तावित टाउनशिप अकादमिक बुनियादी ढांचे में अंतर को पहचानने का संकेत है।

पाकिस्तान में खेलने जाएंगे हम: सूर्यकुमार

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप मैच के लिए कोलंबो जाएगी, फिर भले ही पड़ोसी देश ने मैच का बहिष्कार करने की घोषणा क्यों ना की हो। हालांकि भारतीय कप्तान ने माना कि इस मामले से जुड़े लोगों के लिए स्थिति आसान नहीं है जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) भी शामिल है जिसने पाकिस्तान को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है। सूर्यकुमार ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह आसान काम नहीं है। यह मेरा फैसला नहीं है। मुझे यकीन है कि वे (आईसीसी) भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे लेकिन यह दूसरी सरकार या देश की तरफ से आया है तो वे (आईसीसी) भी कैसे मदद कर सकते हैं?' **भाषा**

उप्र: चीनी मांझे से होने वाली मौत हत्या की श्रेणी में

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को चीनी मांझे से होने वाली मौत को हत्या की श्रेणी में रखते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पोस्ट के मुताबिक, 'मुख्यमंत्री ने चीनी मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर सजान लेते हुए प्रदेश में इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आदित्यनाथ ने चीनी मांझे से होने

को बाजारखाला में एक युवक की मांझे से गला कटने के कारण मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान बिहार निवासी सैयद शोबह (34) के रूप में हुई और वह एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्यरत था। **भाषा**

क्रैसैंटो ग्लोबल लिमिटेड
(पूर्व में रेमेड लेब्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
सीआईएन: L24111UP1992PLC014240
पंजी. कार्या. सी-273, सी ब्लॉक, सेक्टर 63, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, 201301.
वेबसाइट- www.raymedlab.com ईमेल- raymedlabs@rediffmail.com, फोन नंबर 7738668988

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ महीनों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 04 फरवरी, 2026 को आयोजित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियमन 33 (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियमन, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किए गए हैं और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.raymedlab.com पर उपलब्ध हैं। इसे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 04.02.2026

बोर्ड और उसकी ओर से
हस्ता/—
प्रशांत बजाज
निदेशक
डीन: 06634046

इंडिया एक्जिम बैंक
India Exim Bank
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
प्रधान कार्यालय: केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005
दूरभाष: (022) 22172619, 22172628, 22172693 | फैक्स : (022)-22182497
वेबसाइट: www.eximbankindia.in

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए गैर-लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	विवरण	₹ करोड़ में		
		31.12.2025 को समाप्त तिमाही (गैर-लेखा परीक्षित)	31.12.2024 को समाप्त तिमाही (गैर-लेखा परीक्षित)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
1	कुल परिचालन आय	4,413.06	4,053.03	18,325.51
2	इस अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर - पूर्व, विशेष तथा/अथवा असाधारण मर्दे)	769.76	396.99	4,297.26
3	इस अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/ अथवा असाधारण मर्दे के पश्चात)	769.76	396.99	4,297.26
4	इस अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/ अथवा असाधारण मर्दे के पश्चात)	568.59	297.11	3,243.15
5	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	15,909.37	15,909.37	15,909.37
7	आरक्षित निधियां (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)	9,599.79	6,984.93	9,903.08
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	नेटवर्थ	25,500.15	22,894.30	25,812.45
10	चुक्ता ऋण पूंजी/बकाया ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	ऋण इक्विटी अनुपात	7.01: 1	6.85: 1	6.94: 1
13	प्रति शेयर आय (प्रत्येक _____ ₹./- का) (घाटू एवं बंद परिचालनों के लिए) - 1. मूल : 2. कम करने के पश्चात:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	ऋण चुकोती कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	व्याज चुकोती कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- नोट:**
- उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा 03 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 05 फरवरी, 2026 को आयोजित बैठक में इन्हें अनुमोदित किया गया है।
 - उपर्युक्त विवरण सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बैंक की वेबसाइट (<https://www.eximbankindia.in/investor-relation>) और एनएसई की वेबसाइट (<https://www.nseindia.com>) पर उपलब्ध है।
 - सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 52 (4) में संदर्भित अन्य मर्दे से संबंधित प्रकटीकरण एनएसई को किए गए हैं और इन्हें (<https://www.nseindia.com>) पर एक्सेस किया जा सकता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ताक्षरित/—
हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

स्थान: **मुंबई**
दिनांक: **05 फरवरी, 2026**

HERO **VIDA**
हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: द ग्रेड प्लाजा, प्लॉट नंबर 2, नेक्शन मंडेला रोड, वसंत कुंज - फेज-II, नई दिल्ली - 110070, भारत
सीआईएन: L35911DL1984PLC017354 | फोन: +91-11-46044220 | फैक्स: +91-11-46044399
ई-मेल: secretarialho@heromotocorp.com | वेबसाइट: www.heromotocorp.com

सूचना
हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए @ 5.500% अर्थात् ₹ 110/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹2/-) की अंतरिम लाभांश राशि को स्वीकृत किया है। यह अंतरिम लाभांश उन सदस्यों को देया होगा जिनके नाम 11 फरवरी, 2026 रिकॉर्ड तिथि के दिन कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। लाभांश का भुगतान 7 मार्च, 2026 तक (अर्थात् लाभांश की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंतर्गत) पूर्ण कर दिया जाएगा।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम, 1961) में वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान अथवा वितरित किए गए लाभांश पर सदस्यों के हाथों में कर देया होगा। अतः कंपनी, अंतरिम लाभांश के भुगतान के समय, प्रत्येक श्रेणी, शेयरधारक की आवासीय स्थिति तथा उनके द्वारा प्रस्तुत एवं कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के अनुसार लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी। लागू टीडीएस दर निर्धारित करने हेतु सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जिनके रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (आरटीए) के साथ <https://ris.kinfintech.com/form15/> पर **11 फरवरी, 2026** से पूर्व जमा करें। कंपनी ने उन सदस्यों को, जिनके ई-मेल पते 30 जनवरी, 2026 तक आरटीए/डिपॉजिटरी के अभिलेखों में पंजीकृत हैं, 5 फरवरी, 2026 को ई-मेल द्वारा सूचना भेज दी गयी है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग) दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, में 19 नवंबर, 2025 से प्रभावी संशोधन के अनुसार, "सममूल्य देय" वारेट अथवा चेक से संबंधित प्रावधान पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, अब सभी लाभांश भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किए जायेंगे और लाभांश भुगतान हेतु कोई सममूल्य देय वारेट/चेक/ड्राफ्ट जारी नहीं किया जाएगा। अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रभिकारी के साथ (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं) अथवा कंपनी के आरटीए के साथ (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) अपना केवाईसी (जिसमें बैंक विवरण शामिल है) अपडेटेड करवा लें, ताकि लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जा सके। केवाईसी विवरण अपडेटेड न होने की स्थिति में लाभांश रोक दिया जाएगा। सदस्य द्वारा केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के पश्चात ही लाभांश जारी किया जाएगा।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
प्रभात सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपाल अधिकारी

POONAWALLA FINCORP
कारपोरेट कार्यालय: यूनिट नं. 2401, चौबीसवीं मंजिल, अल्टीमस, डी. जी एम मोसल मार्ग, वडी, मुंबई-400 018 (महाराष्ट्र)
पंजीकृत कार्यालय: 201 एवं 202, दूसरी मंजिल, एपी81, कोरगाँव पार्क एनकेसी, मुंबई, पुणे-411306, महाराष्ट्र

आप नीचे उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों ने अपनी अवल सम्पत्तियों को गिरेवी रख कर गैरमा फिनकोर्प लिमिटेड "एमएफएल" अब पुनर्वाला फिनकोर्प लिमिटेड "पीएफएल" के नाम से ज्ञात, से गृह ऋण/ऋण की सुविधा हासिल की है। आप ऋण चुकता करने में विफल हो चुके हैं, इसलिए आपके ऋण को अर्जक सम्पत्तियों के रूप में सीमित कर दिया गया है। बकाया राशि की वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधित्व पर एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत आपके अंतिम ज्ञात पते पर एक नया सूचना भेजी गई थी, जो बंजर तामिल के वापस आ गई। अतएव, आपके लिए वैकल्पिक सेवा के तौर पर अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार इसके विषय वस्तु को यहां प्रकाशित किया जा रहा है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गारंटर्स, प्रतिभूतियों, बकाया रकमों, धारा 13(2) के अधीन भेजी गई मांग सूचना तथा दावा की गई रकम का विवरण नीचे उल्लिखित है:

क्र. सं.	कर्जदारों, सह-कर्जदारों का नाम तथा ऋण रकम	प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	बकाया राशि रु. में
01	कर्जदार, सह-कर्जदार विनायक रेट्रोरेट मनोहर लाल रट्टूडी सुशीला रट्टूडी ऋण रकम: ₹. 70,55,000/- (रुपये सत्तर लाख पचास हजार मात्र) ऋण सं.: LAP0031100000019259863	सम्पत्ति की अनुसूची - अवतिका, रोहिणी, दिल्ली के हाउसिंग एस्टेट के लेआउट प्लान में स्थित ब्लॉक-सी, सेक्टर-1 में मूलतः पर 32.00 वर्ग मीटर परिमाण क्षेत्रफल की सम्पत्ति फ्लैट सं. 599 का सम्पूर्ण एवं स्वतंत्राधिकार हिस्सा।	27.01.2026	₹. 77,35,575/- (रुपये सत्तरहत्तर लाख पैंतीस हजार चार सौ पचाहत्तर मात्र) तथा 27.01.2026 तक ब्याज बकाया एवं आपके द्वारा भुगतान है साथ में साताना 10.10% की दर से भागी ब्याज

आप कर्जदार/ तथा सह-कर्जदार/ को इस सूचना के 60 दिनों के अंदर ऊपर उल्लिखित मांग की गई रकम के साथ यहां उल्लिखित आगे के ब्याज की पूरी रकम चुकता करने को कहा जाता है, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के अनुसार ऊपर उल्लिखित प्रत्याभूत सम्पत्तियों को कुकृत करने हेतु कार्रवाई करने के लिए बकाया होगा। कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार इसी बीच आप पर कम्पनी सम्पत्ति के बंजर बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी भी तरीके से ऊपर उल्लिखित प्रत्याभूत सम्पत्तियों के हस्तान्तरण करने पर रोक लगा दी गई है। स्थान: नई दिल्ली तारीख: 06.02.2026 अधिकृत अधिकारी **कृते पुनर्वाला फिनकोर्प लिमिटेड**

HDFC BANK
We understand your world **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**
शाखा का पता: द्वितीय एवं तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टेले हॉल के सामने, देहरादून-248 001
Tel.: 18002100018 CIN: L68920MH1994PLC080618 वेबसाइट: www.hdfcbank.com

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अंतर्गत

जैसा कि, (माननीय एनसीएलएटी-मुंबई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समागमन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण में विफल हो चुके हैं, इसलिए हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी/ उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ सूचनाओं में वर्णित राशि को वापस लौटाने की जिम्मे कर्ता था। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋणी/ उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते के पत्ते पर रिसारों में भी इन सूचनाओं को विपकथया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋणी/ उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों यदि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्वारा उक्त ऋणी/ उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कॉलम सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं/ अथवा उग्राही की तिथि तक उक्त मांग सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दरों पर आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शायी गयी राशि को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एचडीएफसी** को भुगतान कर दें। ऋण की 60 दिनों के बाद पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी द्वारा **एचडीएफसी** के पास निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है: ऋणी/ उधारकर्ता (ओं)/ कानूनन वारिस (ओं) / कानूनन प्रतिनिधि (यों) का ध्यान सारफेसी एकड़ की धारा 13 की उप-धारा(6) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों का नाम (ों)	कुल बकाया धनराशि (₹0*)	मांग सूचना की तिथि (की)	प्रतिभूत परिसम्पत्ति/ अवल सम्पत्ति का विवरण (ों)
1	श्रीमती इन्दू, (सह-ऋणी एवं कानूनी उत्तराधिकारी) पत्नी श्री नरेश कुमार (अब मृतक) एवं अन्य जाने अज्ञाने कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि श्री नरेश कुमार (अब मृतक)	4,50,440/- दिनांक 31.12.2025 तक एवं 01.01.2026 से देय ब्याज	27.01.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग प्लॉट ए 59 / 1, खसरा नं० 18 एम, कालोनी भागीरथ विहार, ग्राम नूरपुर पंचवट्टे हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249401, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित
2	श्री ब्रज दत्त पाण्डेय (ऋणी) श्रीमती सारिका शुक्ला (सह-ऋणी)	14,50,358/- दिनांक 31.12.2025 तक एवं 01.01.2026 से देय ब्याज	27.01.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग प्लॉट नं० 65 पर मकान, खेत नं० 10 मि, ग्राम फुलसूंगा, तहसील रुद्रपुर, उत्तराखण्ड, वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित
3	श्रीमती साइना पाल (सह-ऋणी एवं कानूनी उत्तराधिकारी) पत्नी श्री सुरेश पाल (अब मृतक) एवं अन्य जाने अज्ञाने कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि श्री सुरेश पाल (अब मृतक)	7,31,327/- दिनांक 31.12.2025 तक एवं 01.01.2026 से देय ब्याज	27.01.2026	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग खसरा नं० 2901 फी सुदेश पाल (अब मृतक) पंचवादन तहसील विकासनगर, देहरादून-248198 वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण सहित

* भुगतान और/ या वसूली की तिथि तक लागू दर से ब्याज, आकरिमिक व्यय, लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी** को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग्य नियमों के अंतर्गत **एचडीएफसी** लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी/ उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियां/ अवल सम्पत्तियां के प्रति आगे की कार्रवाई करेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी/ उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों विक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अवल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा दंड हो सकता है। दिनांक: 06.02.2026 स्थान: उत्तराखण्ड **पंजीकृत कार्यालय: एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बरत मार्ग, लोवर पर्व (फिरोज) मुंबई-400 013 प्राधिकृत अधिकारी**

